

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(कल्याण विभाग)
विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली

सं० एफ.1(8)08/कल्याण/डी.डी.ए/160

दिनांक: 21/09/2021

परिपत्र

दिल्ली विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारीयों को सूचित किया जाता है कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण में 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। कल्याण विभाग दि.वि.प्रा. दिनांक 30.9.2021 (वीरवार) एवम् 01.10.2021 (शुक्रवार) को प्रातः 10:30 बजे सम्मेलन कक्ष, बी-ब्लॉक, विकास सदन, आई. एन. ए. नई दिल्ली में निम्नलिखित प्रतियोगिता/कार्यक्रमों का आयोजन करा रहा है।

क्रम.संख्या	कार्यक्रम/ प्रतियोगिता	तिथि /समय	स्थान
1.	वाद विवाद प्रतियोगिता "1. भारत में लोकतंत्र सफल या विफल 2. भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य"	30.09.2021 प्रातः 10:30	सम्मेलन कक्ष , बी -ब्लॉक, विकास सदन, आई. एन. ए. नई दिल्ली
2.	ड्राइंग प्रतियोगिता "गाँधी जी की विचारधारा"	01.10.2021 प्रातः 10:30	सम्मेलन कक्ष , बी -ब्लॉक, विकास सदन, आई. एन. ए. नई दिल्ली

कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से हर प्रतियोगिता के विजेताओं को निम्न प्रकार से पुरस्कार राशि का वितरण किया जायेगा।

क्रम.संख्या	पुरस्कार	पुरस्कार राशि	पुरस्कार की संख्या
1.	प्रथम	रु 2100/-	1
2.	द्वितीय	रु 1100/-	1
3.	तृतीय	रु 500/-	1

सभी इच्छुक नियमित अधिकारी/कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर उपरोक्त तिथियों को प्रातः 10:30 बजे तक कल्याण विभाग बी-13, भूतल, विकास सदन, आई. एन. ए., दि.वि.प्रा. में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। सभी प्रतिभागी लेखन सामग्री अपने साथ ले कर आये।

अतः प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों और कर्मचारीयों से अनुरोध है की इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं।


नोट: कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागी सामाजिक दूरी बनाये रखेंगे और मास्क लगाना जरूरी है।

उप निदेशक
(कल्याण विभाग)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के विशेष कार्य अधिकारी को माननीय उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के सूचनार्थ।
2. प्रशासन सदस्य (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन, प्रणाली एवं समन्वय, आवास, पी.एम.आई.एस., एवं सी.डब्ल्यू.जी), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को वित्त सदस्य के सूचनार्थ।
4. अभियंता सदस्य के निजी सचिव को अभियंता सदस्य के सूचनार्थ।

5. प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भूदृश्य), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, दि.वि.प्रा.।
7. मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा.।
8. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें।
9. सभी आयुक्त, दि.वि.प्रा. को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें।
10. सभी मुख्य अभियंता, दि.वि.प्रा. को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें।
11. मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें।
12. मुख्य वास्तुविद, दि.वि.प्रा. को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें।
13. वित्त सलाहकार (आवास), दि.वि.प्रा. को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें।
14. सभी निदेशक/अधीक्षण अभियंता, दि.वि.प्रा. को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें।
15. सभी उप निदेशक/अधिशाली अभियंता, दि.वि.प्रा. को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें।
16. मुख्य सुरक्षा अधिकारी दि.वि.प्रा. को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें।
17. उप निदेशक (प्रणाली) को इस परिपत्र को दि.वि.प्रा. को वेबसाइट पर अपलोड करने + तथा दि.वि.प्रा. सर्वर पर एस.बी.एफ. सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
18. सभी कल्याण/निरीक्षकों / कल्याण अधिकारी को उनके संबंधित जॉन में प्रचार के लिए परिपत्र की अतिरिक्त प्रति के साथ।
19. अधिशाली अभियंता (एस. एम्. डी. -4).
20. अधिशाली अभियंता (विद्युत) ई. डी. 11.
21. सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी (कल्याण) को सूचनार्थ एवं उचित प्रबंध करने हेतु।
22. सूचना बोर्ड विकास सदन/विकास मीनार।


 सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी
 (कल्याण विभाग)